

कार्यालय नगर पालिका परिषद जिला सागर म.प्र.

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005

(THE RIGHT TO INFORMATION ACT-2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा "ख" के अंतर्गत

(बिन्दु क्रमांक 01 से 25 तक की जानकारी)

प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धन्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है, कि, जनता के चुने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जबाब देय होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक ईकाईयों के क्रियाकलापों को उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी है। या जो जनहित में आवश्यक हो।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन में मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 03 सन् 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया है।

नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है। एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक " लोक प्राधिकारी " हैं, नगर पालिका परिषद कार्य व कर्तव्य नागरिकों को सीधे जुड़े हुए हैं। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिए निर्धारित की जाने नीति स्वीकृत योजनायें व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य के अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते हुए यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है।

इस हस्त पुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिकारी जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

अध्याय – एक

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर को स्थापना वर्ष 1979 में की गई। वर्तमान में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों से वह अपने कर्तव्यों को संपादित कर रही है।

परिषद के मुख्य कर्तव्य व कार्य का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट है। जो निम्नानुसार है।

- (क) सार्वजनिक पथों स्थानों तथा भावना को प्रकाशित करना।
- (ख) सार्वजनिक पथों, पथों स्थानों तथा मल नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राईवेट संपत्ति न हो और जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों। भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हों या न हों हानिकार घासपत को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना।
- (ग) विष्टा तथा कूरा करकट का व्ययन करना और विष्टा तथा कूरा करकट से कमपोस्ट खाद तैयार करना।
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन योन संपत्ति की रक्षा करना।
- (ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम का उपशमन करना।
- (च) सार्वजनिक पथों, या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में जो प्राईवेट संपत्ति न हो और जो सर्वसाधारण के उपयोग के लिए हो भले ही ऐसे स्थल परिषद में न हित हों या राज्य सरकार में निहित हों वाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना।
- (छ) मृतकों की अंत्योष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उसमें तब्दीली तथा उनका विनियम करना।
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात स्थिति में मृतकों की अंत्योष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जायें।
- (झ) खतरनाम भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना।
- (त्र) सार्वजनिक पथों, पुलियों नगर पालिका के सीमा-चिन्हों मण्डियों हाटों वधशालाओं, शौचालयों संडासों मूत्रालयों नालियों नल-नालिकाओं जल निकाय सकर्मो नलनाली से संबंधित संकर्मो स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों पीने के पानी के नलों तालाबों कुओं वाधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मो का निर्माण करना उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना।
- (ट) कांजी हाऊसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जंहा पशु अविचार अधिनियम 1871 (1871) का स. 1) प्रवृत्तन में हो वहा उस अधिनियम की धारा 4,5,6,7,12,14,17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना।
- (ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रवास या अतिरिक्त जल प्रदाय की जब एक ऐसा प्रदाय अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो प्राप्त करना और ऐसे जल का नियत कालिक रूप से सूक्ष्म परिक्षण करना।
- (ड) पथों तथा उद्यानों का नामाकरण करना तथा मकानों को संख्याकित करना।
- (ढ) जन्म विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना।
- (ण) सार्वजनिक टीके लगाना।
- (त) किन्ही भी ऐसे बछड़े गायो या भैसों के लिए जो पशु टीक (लिम्प) के प्रदाय के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों उयुक्त स्थान की व्यवस्था करना।
- (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अंतरालों से जो विहित किए जायें कृषि उपयोगि पशुओं की गणना।

- (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए अपेक्षित हैं।
- (घ) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश उसे (रिपोर्ट) को प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें।
- (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाये मजबूत चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों।
- (प) परिषद के सफाई कर्मचारी वृन्द के लिए आवास गृहों का संनिर्माण तथा अनुरक्षण करना।
- (फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना।

इसके अतिरिक्त नगर पालिका अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थायी व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है।

धारा 124 (क) से (फ)

- (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना ऐसे क्षेत्रों में जिनमें एवं में निर्माण हुआ हो या नहीं नये सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना जिसमें ऐसे भागों से संस्पर्शी भवन के लिए भू-खण्ड सम्मिलित होंगे।
- (ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानों खेल के मैदानों तथा खुले स्थानों पुस्तकालयों संग्रहालयों पागलखानों सभा भवनों कार्यालयों धर्मशालाओं विश्रामग्रहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का संनिर्माण करना। उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना।
- (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों का अग्रसर करना।
- (घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (ङ) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जिल छिड़कना।
- (च) चौराहों उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना।
- (छ) स्थानीय प्रायोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों ठीक-ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरुस्कार देना।
- (ज) सर्वेक्षण करना।
- (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाये रखने के लिए आनुशंगित वेतन तथा भत्ते भाडे तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्ही भी खर्चों के किसी भाग का संदाय करना।
- (त्र) ऐसे कुतों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमित के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हे निरोध में रखा जा सकता हो।
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक या घृणात्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना।
- (ठ) प्राईवेट परिसरों में उनके उपयोग के लिए उनका मल-मूत्र परिषद के नियंत्रणाधीन मल-नाली में इकठ्ठा करने तथा उसे वहाकर ले जाने के लिए पात्रों फिटिंगों नालों तथा अन्य प्रकार के सचित्रों का चाहे जो भी हो प्रदाय निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।
- (ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यों की अभिवृद्धि करना।
- (ण) सफाई कर्मचारी वृन्द से भिन्न किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना।
- (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवास गृह का निर्माण करना।
- (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों चिकित्सालयों औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के जा सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हों या सामाजिक कार्य में लगी हों या पूर्ण प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदय करना।
- (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मा की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन साड़ रखना तथा उनका भरण पोषण करना।

- (घ) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदों के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मों की स्थापना करना।
- (न) विशेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली मताओं बच्चे तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध संघीनीकृत वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृतिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना।
- (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना।
- (फ) भोजन गृह जैसे जल, पान गृह चाय की दुकान मिठाई के दुकान उपहार-गृह कैफे स्वल्पाहार गृह होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहां खाद्य पेय पदार्थ दिये जाते हैं।
- (ब) शेडों छप्परो (बूथ्स) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान-गृहों या तैरने के तालाबों के व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना।
- (म) ऐसी सड़कों तथा ऐसे भवनों का और सिंचन संकर्मों से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मों का जिन्हें राज्य सरकारी इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार परिषद को अंतरित करे। निर्माण करना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी पागल खाने कृष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कृष्ठरोगियों के जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गये हैं। भरण पोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना।
- (कक) पागलों कृष्ठरोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका अलर्कविरोधी एण्टीबेरिक उपचार होना आवश्यक हो। उनके उपचार के लिए स्थापित पागल खाने कृष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में चाहे गये नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- (खख) मेले तथा प्रदर्शनीय युक्त मेले लगाना।
- (गग) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (घघ) नगर पालिका के भीतर ऐसे कोई भी स्वागत समारोह उत्सव मनोरंजन या प्रदर्शनी का आयोजन करना जिससे उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इस विहित की गई हो परंतु यह जबकि परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन में एक संकल्प पारित कर दिया जाये।
- (ङङ) अन्यथा उपबंधित में किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन संभव हो।
- (चच) चिकित्सालयों तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (छछ) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (जज) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।
- (झझ) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।
- (टट) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि।
- (डड) समाज के दुर्बल वर्गों में जिनके अंतर्गत बिकलांग और मद व्यक्ति भी हैं। हितों की रक्षा।
- (ढढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
- (णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना।
- लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा संलग्न प्रपत्र – क में दर्शाया गया है, विभिन्न विभागों के कार्यों का कर्तव्यों का विवरण प्रपत्र “ख” में तथा पदाधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्यों का प्रपत्र “ग” में दर्शाया गया है।

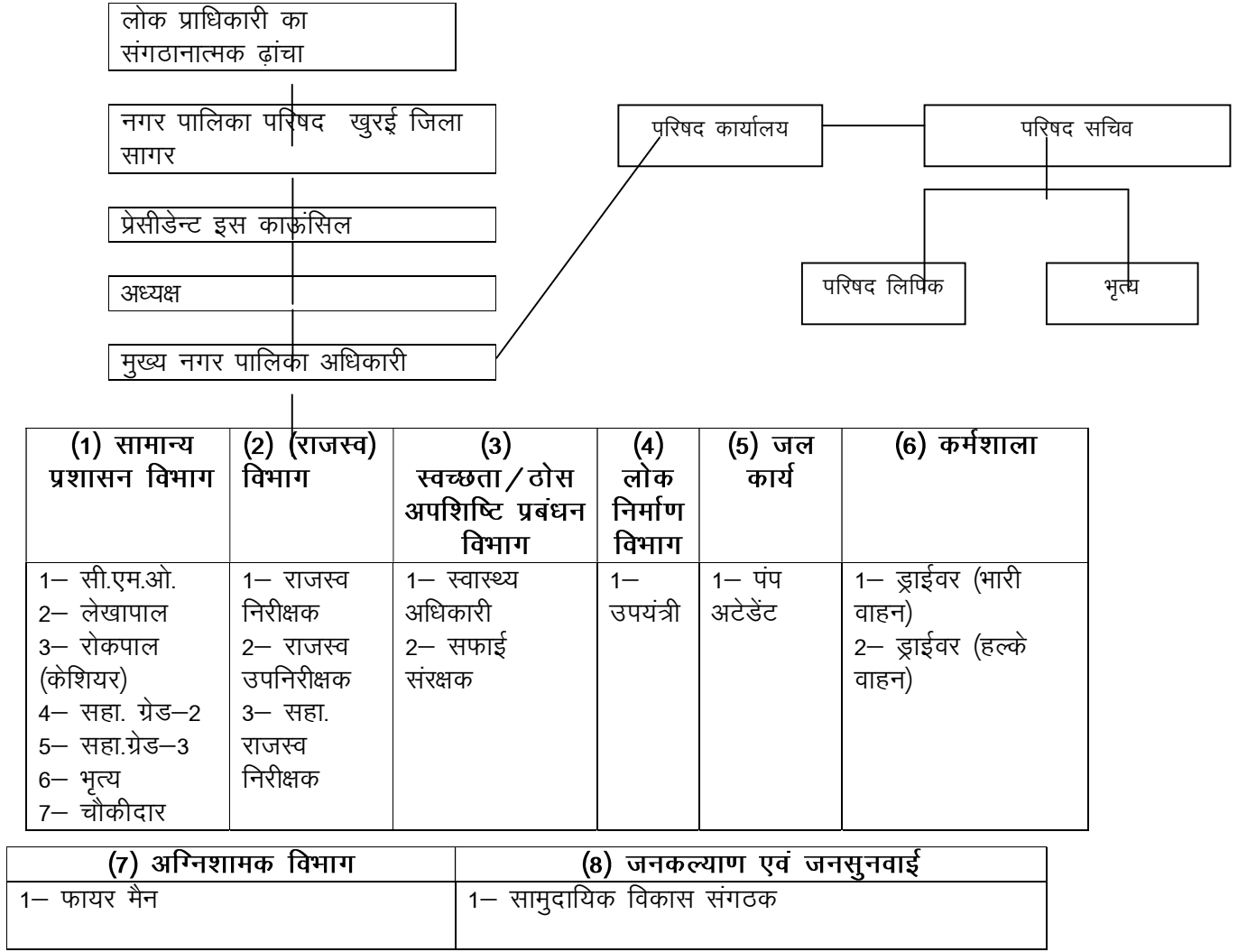
**कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर म.प्र.
नगर पालिका व प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्तव्य**

क्र.	विभाग	कार्य
1	सामान्य प्रशासन विभाग	लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारु व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के साधारण का यह विभाग उत्तरदायी है। उनके कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं। प्र शासन:- 1- कार्यालय की समुचित व्यवस्था। 2- अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति अवकाश कार्य विभाजन 3- कार्यालयीन पत्र व्यवहार का संधारण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण 4- रिकार्ड पत्रों का आवक-जाबक पंजीकरण व निरस्तिकरण। 5- परिषद, प्रेसिडेंट इन कौंसिल परामर्श दात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उनके कार्यवृत्तियों का संधारण उनके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित। 6- कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण। 7- वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन। लेखा:- 1- निकाय के करों शुल्कों अनुज्ञा शुल्कों व अन्य मदों कर्मचारियों द्वारा बसूल या प्राप्त की गई है। की जांच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कौशालय व बैंक में जमा करना। 2- निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानों की जांच करना व सुनिश्चित करें की संपादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति बजट प्रावधान स्टाक/रजिस्टार या लेजर बुक में प्रविष्टि है व समक्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना। 3- मासिक त्रमासिक वार्षिक लेखाओं का तैयार करना व विनिर्दिष्ट अधिकारी को भेजना। 4- वार्षिक आय-व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना। 5- समस्त प्रति भूतियों अमानतों अग्रिमों के लेखों का संधारण। 6- ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संधारण। 7- जनसहयोग या स्वैच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर में रखना। 8- प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण। 9- लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निरीक्षण
2	राजस्व विभाग	प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्कों एक अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स सिलाटर हाऊस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीज रेंट तथा भूमि किराया प्रीमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है। इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते:- 1- संपत्तिकर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश कर, शिक्षा कर, एवं अन्य सभी करों जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है। उनका कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप प्रपत्र में तैयार करना। 2- निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्कों की शीघ्र बसूली करना। 3- करों शुल्कों व अन्य देयक राशियों की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेक संख्या में रसीद बुकों की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापिस जमा करना, सुनिश्चित करना। 4- राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जांच उपरांत जमा करना व

		उसका पर्यवेक्षण करना। 5- राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मूल्य रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना। 6- नगर पालिका मार्केट, दुकाने भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष व टेन्डर्स आदि की कार्यवाही अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व संबंधित अनुबंधों व निष्पादन सुनिश्चित करना। 7- बकाया करों व शुल्कों व किराये की बसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार बिल मांग सूची पत्र व वारंट जारी करना। व उनकी तामीली सुनिश्चित करना। 8- कांजीहाऊस की व्यवस्था करना व बसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण। 9- विहित प्रारूपों में मासिक त्रमासिक वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रकों में करों आदि की बसूली की जानकारी विहित अधिकारियों की देना।
3	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिकों का चिकित्सा व जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बीमारियों की रोकथाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु व निम्न कार्यों को संपन्न करता है। 1- जन स्वास्थ्य के लिए टेक्सीनेसन की व्यवस्था। 2- महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाईयों का विवरण चिकित्सीय व्यवस्था। 3- पशुबध, गृह, होटलों आदि का निरीक्षण। 4- खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जांच। 5- नगरीय क्षेत्र के सड़कों नालों व नालियों की सफाई। 6- सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों (सुलभ शौचालयों) का निर्माण 7- शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन। 8- शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानों का निर्माण रख-रखाव व वृक्षारोपण 9- केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण।
4	लोक निर्माण विभाग	प्राधिकरण के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्तव्य हैं। 1- नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन निर्माण कार्यों का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। 2- नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कॉलोनीयों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना। 3- जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों व खुली भूमि से अतिक्रमण हटाने। 4- बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यों को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना।
5	जलकार्य विभाग	प्राधिकरण के जलकार्य विभाग निम्न कर्तव्य व कार्यों को संपन्न करता है। 1- जलकार्य की संपूर्ण व्यवस्था इंटेक बैल, फिल्टर, प्लांट, स्टोरेज सप्लाई का संधारण एवं पर्यवेक्षण। 2- मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन पब्लिक स्टेण्ड का संधारण। 3- पब्लिक स्टेण्ड का संधारण। 4- जल कष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना। 5- व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उसका पर्यवेक्षण। 6- नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जल स्रोतों तलाबों कुओं

		आदि का संधारण।
6	कर्म शाला विभाग	इस विभाग के कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मीनों व पंपों आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है। साथ ही वाहनों के लिए चालक का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है।
7	अग्नि शामक विभाग	कार्य एवं कर्तव्य 1- अग्नि शामक वाहनों का संधारण। 2- आग की स्थिति अग्निशामक की त्वरित व्यवस्था। 3- आपात स्थिति में प्र शासन व नागरिकों की सहायता।
8	शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग के कार्य 1- बाल मंदिरों की स्थापना व संचालन। 2- झूला घरों की स्थापना व संचालन। 3- म.प्र. नगरीय निकाय संविधा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविधा की शर्तें) नियम 2005 के प्रावधानानुसार शिक्षकों की नियुक्ति 4- म.प्र. नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2008।

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई., जिला सागर म.प्र.



कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सागर म.प्र.
अध्याय – दो
प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों के कार्य व शक्तियां
प्रपत्र – ग

नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर म.प्र.

क्र.	नाम पदाधिकारी	शक्तियां	कर्तव्य			
1	नगर पालिका परिषद	1- म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियां 2- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनायें तैयार करना। 3- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति। 4- करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति। 5- संपत्तिकर हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण। 6- प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति। 7- सार्वजनिक पथों को नियमित लाईन का निर्धारण। 8- मण्डी मार्केट की स्थापना। 9- आर्दश दुग्ध उद्योग की स्थापना। 10- धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने। 11- परि ाद की ओर से अधिक कार्यवाही। 12- परि ाद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति। 13- अधिनियमों से प्रयोजनों हेतु।	1- अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिश्चि कर्तव्य। 2- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति। 3- परामर्श दात्री समिति का निर्वाचन। 4- धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका संपत्ति का अंतरण। 5- अधिनियमों के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्तियां। 6- वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति। 7- (क) नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के मामले में:-			
			अनु क्र.	प्राधिकारी	नगर पालिका परि ाद	नगर पंचायत
			1	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	रूपये 05 लाख तक	रूपये 02 लाख तक
			2	अध्यक्ष	रूपये 05 लाख से 10 लाख तक	रूपये 02 लाख से 05 लाख तक
			3	प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल	रूपये 10 लाख से 40 लाख तक	रूपये 02 लाख से 05 लाख तक
			4	परिषद	रूपये 40 लाख से 05 करोड तक	रूपये 20 लाख से 02 करोड तक
			5	आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास	रूपये 05 करोड 30 करोड तक	रूपये 03 करोड 30 करोड तक
			6	मध्यप्रदेश शासन	रूपये 30 करोड अधिक	रूपये 30 करोड अधिक

2	प्रसीडेंट नई काउंसिल	1- धारा 94(1) (2) (6) के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड। 2- 200/- से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रीमियम को स्थान/संपत्ति को भाड़े पर की स्वीकृति। 3- वित्तीय शक्तियां का 50000/- से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका की दशा में रु. 15000/- से अधिक दो लाख तक। ख. 50000/- से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका की दशा में रु. 10000/- से अधिक 1 लाख तक। 4- अधिनियम की धारा 93(1) 94(1)(2), 121 (1), 126, 160, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253, (1) (3), 255, (1) 261, 262 (1) (3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां।	1- धारा 94(1) (2) व (6) के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति। 2- धारा 109 व संबंधित नियमों अंतर्गत स्थान/संपत्ति का अंतरण। 3- वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्य/खरीदी की स्वीकृति। 4- कॉलम 2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही।
3	अध्यक्ष	1- परिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम। 2- अधिनियम की धारा 183 (5), 184, 186, 190, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 218, 219, 268, एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां। 3- आपात काल में परि ाद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यों के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति। 4- परिषद /प्रसीडेंट इन काउंसिल द्वारा प्रदत्त अधिकारी अंतर्गत स्वीकृतियां व कार्य।	1- परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन। 2- परिषद की 184, 185 वित्तीय ओर कार्यपालन प्रशासन पर निगरानी। 3- कार्यपालन प्रशासन परि ाद के लेखाओं अभिलेखों, से संबंधित कार्यों व कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण।
4	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	1- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति व दण्ड। 2- सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना। 3- करों व भाड़े की बसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र वारंट जारी करने की शक्ति। 5- वित्तीय शक्तियां नगर पालिका परि ाद ओर नगर पंचायत के मामले में:-	1- नगर पालिका के समस्त कार्यपालिक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी। 2- नगर पालिका की ओर से पत्राचार। 3- परि ाद द्वारा लिए गये निर्णयों का अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार पालन। 4- अधिनियम की धारा 180 (1), (2) 185, 187-ए, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200(2), 204, 208, 2013, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250, 251, 252, एवं 285।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खुरई
जिला सागर

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – तीन

विनिश्चय/निर्माण किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ओर निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जबाब देही के माध्यम से/सारणी

- 1— परिषद —
प्रेषणकर्ता — मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसीडेंट इन काउंसिल के अनुमोदन से निर्णयकर्ता :- परिषद
- 2— प्रेसीडेंट इन काउंसिल —
प्रेषककर्ता : मुख्य नगर पालिका अधिकारी
निर्णयकर्ता : प्रेसीडेंट इन काउंसिल
अपील/पुनीक्षण : परिषद / संचालक

विभाग	प्रकरण प्रारम्भकर्ता कर्मचारी	डिलींग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है।	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी/पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	2	3	4	5	6	7
नगर पालिका परिषद खुरई	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	श्री राजेश मेहतेले	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी / प्रेसीडेंट इन काउंसिल परिषद	कलेक्टर/संभागीय संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास	संबंधित शाखा प्रभारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – चार

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान

- क. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई —

सिटिजन चार्ज :-

ख. कार्यालयीन कार्यों का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य :

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1— | करों की वसूली के लिए | — | वित्तीय वर्ष की शत — प्रतिशत |
| 2— | योजना कार्यों के लिए | — | अंकितसमय सीमा |
| 3— | बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य | — | शत प्रतिशत |

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खुरई
जिला सागर

अध्याय – पांच

नगर परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गई नियमों, विनियमों अनुदेशों,
मैनुअल्स और अभिलेख

अधिनियम

- 1— म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961।
- 2— अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम।
- 3— म.प्र. मूलभूत नियम।
- 4— म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971,
- 5— म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966।
- 6— म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955,
- 7— म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1955,
- 8— म.प्र. भूमि विकास नियम
- 9— केटल ट्रेसपाट एक्ट
- 10— नगर पालिका द्वारा बनाई गई उपविधियां
- 11— परिपत्र —
 - 1— म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र
 - 2— नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश।

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – छः

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों कह श्रेणियों का विवरण

क्र.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेजों को नष्ट किये जाने की समय सीमा
1	2	3	4	5
1	कार्यवृत्त पुस्तिका	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	--- / / ---
2	(क) परिषद (ख) प्रेसीडेंट इन काउंसिल	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	--- / / ---
3	वार्षिक प्रतिवेदन	पंजी	प्रतिवेदन	--- / / ---
4	स्टाक तथा भण्डार पंजिया	पंजी	क्रय की गई सामग्री का विवरण	--- / / ---
5	अचल संपत्ति की पंजी	रजिस्टर	न.पा. की अचल संपत्ति	--- / / ---
6	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी	--- / / ---
7	जन्म, मृत्यु तथा विवाहों की पंजी	रजिस्टर	जन्म, मृत्यु/विवाह संबंधी जानकारी	--- / / ---
8	वेतन बिल	वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	32 वर्ष
9	रोकड़िया रोकड़	रोकड़िया रोकड़	जमा राशि की जानकारी	25 वर्ष
10	छुट्टी तथा प्रति नियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी छुट्टी/प्रति नियुक्ति	--- / / ---
11	स्थायी अग्रिम लेख	रजिस्टर	अग्रिम की जानकारी	--- / / ---
12	नगर पालिका रोकड़	रजिस्टर	आय-व्यय की जानकारी	--- / / ---
13	प्राप्तियों की पंजी	लेजर रजिस्टर	आय की जानकारी	--- / / ---
14	व्यय की संक्षिप्त पंजी	व्यय की लेजर रजिस्टर	व्यय की जानकारी	--- / / ---

15	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	--- / / ---
16	अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश संबंधी जानकारी	--- / / ---
17	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की जानकारी	12 वर्ष
18	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की जानकारी	12 वर्ष
19	प्रतिभूति पंजी	रजिस्टर	प्रतिभूतियों की जानकारी	--- / / ---
20	ऋण पंजी	रजिस्टर	प्राप्त ऋणों की जानकारी	--- / / ---
21	समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुकें	रजिस्टर	कर संग्रहण की जानकारी	6 वर्ष
22	समस्त फीस पंजियां	रजिस्टर	लायसेंस फीस	--- / / ---
23	कांजी हाऊस पंजी व अभिलेख	रजिस्टर व पंजी	कांजी हाऊस की जानकारी	--- / / ---
24	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी	परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार	--- / / ---
25	चालान, विविध बिल व रसीद बुकें व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण	फार्म व बुकें	बूसली व जमा की जानकारी	4 वर्ष
26	निर्माण कार्यों के बिल/प्रमाण पत्र माप पुस्तिका फर्म व बुकें	फार्म व बुकें	निर्माण कार्यों संबंधी जानकारी	--- / / ---
27	मस्टर रोल	प्रपत्र	मजदूरी भुगतान	--- / / ---
28	बजट अनुदान	प्रपत्र	बजट	--- / / ---
29	आवेदन पत्र/समाचार	नस्ति	संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार निर्धारित अवधि

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – सात

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर पालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसे परिपालन/क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टियां हैं। जिसके अंतर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्शदों) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता है।

1— नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्शदों के बहुमत के लिए गये निर्णय से किया जाता है।

2— नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत मेयर इन काउंसिल के गठन का प्रावधान है।

(क) प्रेसीडेंट इन काउंसिल का गठन —

1— प्रत्येक परिषद के लिए एक प्रेसीडेंट इन काउंसिल होगी, जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्शदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी।

2— प्रेसीडेंट इन काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी।

3— प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

4— प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि, किये जायें और प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा की अध्यक्ष उचित समझें प्रभारी बनाये जायेंगे।

5— अध्यक्ष प्रेसीडेंट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्मेलन उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्यों को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

6— इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेंट इन काउंसिल अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे। जैसे की विहिद किया जाये।

(ख) कृत्य :-

1— 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या की दशा में 15000 से अधिक किंतु दो लाख तक के व्यय की स्वीकृति 50 हजार से कम जनसंख्या की दशा में 10000 से अधिक किंतु 1 लाख तक के व्यय की स्वीकृति।

- 2— अधिनियम की धारा 93,(1) 94(2), 121(1) 126, 160, 168, 166(7), 228, 235, 237, 238, 249, 253, (1) (3) 255(1) 261, 262(1) (3) 263, 265, 267, 272, 274, एवं 281 द्वारा परि ाद में वेशि्ट शक्तियों का प्रयोग ।
- 3— मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार ऊपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये ।
- 4— अधिनियम की धारा 57,(1) 61, 62, 71, (1), 138, 142,(1), 176, तथा 189 ए के अंतर्गत परिषद में वेशि्ट शक्तियों का प्रयोग करने ।

वर्तमान मे प्रशासक होने से सदस्य नही है ।

- 5— कर्तव्य एवं दायित्व—उपरोक्त पैरा 3 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यो व कर्तव्यों का सम्पादन ।
- 6— प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखवद्ध की जावेगी । व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकार है ।
- 3— अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत निर्वाचित पार्शदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से संबंधित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती है ।
- 4— अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत परिषद आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से संबंधित किसी भी प्रकरण में जांच व प्रतिवेदन के हेतु पार्शदों की परामर्शदात्री समिति गठित करने का प्रावधान है ।
- 5— अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामर्श नीति निर्धारण व कार्य संपादन में सुनिश्चित की भी व्यवस्था है ।
- 6— अधिनियम की धारा 122 क के अंतर्गत परि ाद लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण करावाने की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत है ।
- 7— अधिनियम की धारा 325 के अंतर्गत शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी विषय में आम नागरिकों की राय प्राप्त करना परि ाद के लिए बंधनकारी है ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – आठ

अधिनियम के अंतर्गत निम्न विभागों के गठन का प्रावधान है
निकाय अंतर्गत विभिन्न विभाग (धारा 70 एवं 110 के अंतर्गत)

वर्तमान में प्रशासक होने से कोई सदस्य नही है ।

विभाग के कार्य :-

- 1— संबंधित विभाग के कार्यो बावत् सुझाव देना ।
- 2— म.प्र. नगर पालिका (प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम-1998 के अंतर्गत कार्यवाही ।
- 3— कर्तव्यों में समाविष्ट कार्यो के लिए निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देना ।
- 4— ऐसे प्रकरण प्रेसीडेन्ट मेयर इन काउंसिल या परिषद में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – नौ
प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

S.N.	Name	Designation
1	RAJESH MEHTELE	CMO
2	AVINASH RAWAT	AE
3	SHAILESH KAPOOR	Sahayak Grade -2
4	Shailendra Kumar Lodhi	Sub Engineer -
5	Virendra Singh Thakur	Sahayak Grade -3
6	AKHILESH RAI	Sahayak Grade -3
7	SHIRISH KUMAR JHA	Sahayak Grade -3
8	GOVARDHAN AHIRWAR	Sahayak Grade -3
9	SHIKHA SONI	Sahayak Grade -3
10	MANISH PRAJAPATI	Sahayak Grade -3
11	VAISHALI SONI	Sahayak Grade -3
12	VISHWVAIBHAV NEMA	Asst Rev Inspector
13	DHANNALAL AHIRWAR	Asst Rev Inspector
14	DEVENDRA SINGH THAKUR	Asst Rev Inspector
15	NEETESH RAMGOPAL SHRIVASTAVA	UPSWACHHATA PARYAVEK
16	LATEEF KHAN	Driver (HMV)
17	RAMGOPAL AHIRWAR	Pump Attendant
18	SUMAN SAINI	Bhritya
19	RAJESH SHUKLA	Bhritya
20	RAMESHCHAND AHIRWAR	Bhritya
21	PARVAT SINGH YADAV	Bhritya
22	NARENDRA NAHARIYA	Bhritya
23	RAJARAM LODHI	Bhritya
24	MAHESH KUMAR AHIRWAR	Bhritya
25	HARINARAYAN RAIKWAR	Bhritya
26	OMPRAKASH PATEL	Bhritya
27	RAHUL/BABULAL AHIRWAR	Bhritya
28	ASHISH AHIRWAR	Choukidar
29	NARENDRA GOUND	Bhritya
30	HIMANSHU AGRAWAL	Bhritya
31	SACHIN VALMIK	Choukidar
32	SANJAY AHIRWAR	Bhritya
33	RAJESH KUMAR TIWARI	Bhritya
34	RAHUL / FOOLCHAND RAJAK	Bhritya
35	DINESH/RAJARAM BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
36	RAMESHWARI/RAMESH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
37	RAJNI/KAMTA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
38	ANITA/SHIVPRASAD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
39	ARVIND/GOURI BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
40	SHARDABAI BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
41	ASHARANI/BALLA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
42	SACHIN/PRAKASH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
43	MEGHRAJ/SAKKU BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
44	AASHA/RAVI BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
45	MUNNA/LOKMAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
46	ANITABAI/SHIVCHARAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
47	KAMALRANI/PURAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
48	MANOJ/CHATRA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
49	GHANSHYAM/CHHOTELAL BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
50	DHARMESH/SHANKAR BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
51	GANESH/MOHAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
52	OMPRAKASH/DASHRATH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
53	RACHNA/MUNNA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak

54	SEEMA/VINOD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
55	BABLI/OMPRAKASH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
56	BABITA/DEEPAK BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
57	LALITA/MEGHRAJ BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
58	MALTI/MANO HAR BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
59	SATISH/RAMPRASAD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
60	DHEERAJ/KAMTA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
61	AMAR/GURUPRASAD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
62	LAXMAN/CHHATRE BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
63	SUJEET/HARICHARAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
64	MEERA/DILIP BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
65	PRADEP/RAMESH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
66	SANDHYA/RANJIT BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
67	NIHAL KUMAR AHIRWAR	Sanitory Sanrakshak
68	RAJENDRA/KALLU BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
69	GEETA / RAJESH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
70	HEMANT / SANJAY BALMIKI	Sanitory Sanrakshak
71	Murari/Durgaprasad Saini	VINIYMIT
72	Madan/Mulchand Rajak	VINIYMIT
73	Firoj/Idrees Khan	VINIYMIT
74	UdhamSingh/Shobharam Kurmi	VINIYMIT
75	Sunder/Khushal Rajak	VINIYMIT
76	Ramgopal/Ramsahay Mishra	VINIYMIT
77	Devendra/Ramesh BALMIKI	VINIYMIT
78	Ganesh/Juju Patel	VINIYMIT
79	Tilak/Ramsigh Ghoshi	VINIYMIT
80	Parasram/Mangalprasad Raikwar	VINIYMIT
81	Shokat/Ahmad Khan	VINIYMIT
82	Arvind/HP Rai	VINIYMIT
83	Hemant/NP Patel	VINIYMIT
84	Neeta/Rakesh Asati	VINIYMIT
85	Vishnusingh/Sanatsingh Chouhan	VINIYMIT
86	Aakil/Bahid Khan	VINIYMIT
87	Laxminarayan/Ramsahay Choubey	VINIYMIT
88	Prakash/Bhama Nayak	VINIYMIT
89	Radhelal/Nandram Ahirwar	VINIYMIT
90	Rajendra/Motilal Yadav	VINIYMIT
91	Anis/Emam Khan	VINIYMIT
92	Munna/Murli Yadav	VINIYMIT
93	Neeraj/Kailash Parashar	VINIYMIT
94	Shailendra/Chitter Thakur	VINIYMIT
95	Umashankar/Sunder Patel	VINIYMIT
96	Umesh/Dwarkaprasad Saini	VINIYMIT
97	Sandeep/Suresh BALMIKI	VINIYMIT
98	Jiyalal/Bhwarlal BALMIKI	VINIYMIT
99	Ramesh/Sannu BALMIKI	VINIYMIT
100	Pratipal/Chhotelal BALMIKI	VINIYMIT
101	Pramod/Suresh BALMIKI	VINIYMIT
102	Sahdeep/Brajlal BALMIKI	VINIYMIT
103	Shailendra/Jeevanlal BALMIKI	VINIYMIT
104	Pradeep/Dileep BALMIKI	VINIYMIT
105	Lakhan/Sudama BALMIKI	VINIYMIT
106	Deepak/Kanchhedi BALMIKI	VINIYMIT
107	Bobyraj/Raviprakash BALMIKI	VINIYMIT
108	Ravi/Rajaram BALMIKI	VINIYMIT
109	Sanjay/kanchhedi BALMIKI	VINIYMIT
110	Omprakash/Ramesh BALMIKI	VINIYMIT
111	Pawan/Raju BALMIKI	VINIYMIT
112	Eshak/Jafar Khan	VINIYMIT
113	Karan/Chhandilal Ghoshi	VINIYMIT

114	Umashankar/AmarSingh Ghoshi	VINIYMIT
115	Manohar/Bhagwandas Ghoshi	VINIYMIT
116	Virendra/Ramprasad Tiwari	VINIYMIT
117	Manohar/Gulab BALMIKI	VINIYMIT
118	Ghanshyam/Haridas BALMIKI	VINIYMIT
119	Rambabu/Sudama BALMIKI	VINIYMIT
120	Baijnath/Naran Patel	Public Works
121	Imran/Iftiyar Khan	Public Works
122	Balmukund/Ramnath Ahirwar	Public Works
123	Laxman/Ramkishan AHIRWAR	Public Works
124	Munna/Baldev Rajaik	Public Works
125	Shyamlal/Daleep AHIRWAR	Public Works
126	Brajesh/Hardev Mishara	Public Works
127	Rajneesh/Yashwant Parihar	Public Works
128	Alim/Salim Kureshi	Public Works
129	Santosh/Khilan Thakur	Public Works
130	Keshav/Narayan Rai	Public Works
131	Ghanshyam/Balkishan AHIRWAR	Public Works
132	Dinesh/Jeevan Rai	Public Works
133	Arvind/Sarnam Yadav	Public Works
134	Farukh/Yaseen Khan	Public Works
135	Rakesh/Balram Chakarwati	Public Works
136	Sukhpal/H.H. Chouhan	Public Works
137	Heeralal/Devju AHIRWAR	Public Works
138	Dinesh/Dhannalal Rohit	Public Works
139	Rajendra Ahirwar/Ramkishan Ahirwar	Public Works
140	Bholesankar/Ramkishan Patel	Public Works
141	Ramgopal/Chhotelal Rajak	Public Works
142	Pradeep/Jagdish Vishwkarma	Public Works
143	Niranjan/Pancham Thakur	Public Works
144	Gendalal/Puranlal Ahirwar	Public Works
145	Pradeep/Ramsewak Rajak	Public Works
146	Goverdhan/Harishankar Namdev	Public Works
147	Sanjay/Ramswroop Parashar	Public Works
148	Sachendra/Dheeraj Yadav	Public Works
149	Dharmendra/Raju Ahirwar	Public Works
150	Bajid/Liyakat Veg	Public Works
151	Jitendra/Guddesh Chandel	Public Works
152	Ram/Raju Namdev	Public Works
153	Muharsingh/Jamnprasad Kushwaha	Public Works
154	Gajendra/Santosh Yadav	Public Works
155	Yashwant/Emrat Ahirwar	Public Works
156	Deepak/Balram Rai	Public Works
157	Ankit/Madhav Rai	Public Works
158	Neelesh/Shyamlal Rai	Public Works
159	Govind/Kashiram Rai	Public Works
160	Tejram/Bhawani Raikwar	Public Works
161	Krishnkumar/VP Pateriya	Public Works
162	Dharmendra/Mahendra Panth	Public Works
163	Tulsi/Suresh Balmiki	Public Works
164	Ramlal/Ganpat Ahirwar	Public Works
165	Rameshwar/Fagua Ahirwar	Public Works
166	Omprakash Bhardwaj	Public Works
167	Jabbar/Nabab Khan	Public Works
168	Sharad/Kailash Ghoshi	Public Works
169	Vakeel/ Kuraishi	Public Works
170	Hemant/Ashok Ahirwar	Public Works
171	Mahesh/Gopilal Prajapati	Public Works
172	Mahendra/Harinarayan Shrivastava	Public Works
173	Brajendra/Umashanker Patel	Public Works

174	Uttam/Ayodhyaprasad Raikwar	Public Works
175	Avdesh/Sitaram Mishra	Public Works
176	Gopal/Ramlal Ahirwar	Public Works
177	Manoj/Komal Ahirwar	Public Works
178	Amit/Raju Jasodiya	Public Works
179	Kuldeep Ahirwar	Public Works
180	Rupendra Raikwar	Public Works
181	DEVENDRA / PURANLAL RAIKWAR	Public Works
182	Govind / Parmanand kushwaha	Public Works
183	Dileep/Ganeshram Ahirwar	Public Works
184	Devendra / Umashankar Ghoshi	Public Works
185	Rahul / Brajlal RAIKWAR	Public Works
186	AAKASH / NANDLAL AHIRWAR	Public Works
187	BRAJESH SINGH BHAGEL	Samvidha
188	HALKE /GOVIND SINGH CHADAR	Samvidha
189	CHANDRABHAN/BAHADUR SINGH THAKUR	Samvidha
190	ANSHUL /KRISHNDUTT NAMDEV	Samvidha
191	OMPRAKASH /BABULAL YADAV	Samvidha
192	DEEPAK /MAHESH AHIRWAR	Samvidha
193	ROHIT/HARNAM THAKUR	Samvidha
194	AMAN / GYARSI RAIKWAR	Samvidha
195	DEEPAK / MUNNALAL RAJAK	Samvidha
196	MAMTA / SHIVAM YADAV	Samvidha
197	YASHMAND /GANESH SINGH THAKUR	Samvidha
198	DEEPAK /PREETAK GHOSHI	Samvidha

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – दस

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका पत्रक मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है। तथा उसके विनियमों में उप वांछित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर पद्धति

S.N.	Name	Designation	Netpay
1	RAJESH MEHTELE	CMO	64,413.00
2	AVINASH RAWAT	AE	84,202.00
3	Shailendra Kumar Lodhi	Sub Engineer -	66,150.00
4	SHAIKESH KAPOOR	Accounts Officer	69,740.00
5	Virendra Singh Thakur	Sahayak Grade -3	39,178.00
6	AKHILESH RAI	Sahayak Grade -3	84,188.00
7	SHIRISH KUMAR JHA	Sahayak Grade -3	69,435.00
8	GOVARDHAN AHIRWAR	Sahayak Grade -3	57,630.00
9	SHIKHA SONI	Sahayak Grade -3	39,156.00
10	MANISH PRAJAPATI	Sahayak Grade -3	37,949.00
11	VAISHALI SONI	Sahayak Grade -3	28,991.00
12	VISHWVAIBHAV NEMA	Asst Rev Inspector	66,590.00
13	DHANNALAL AHIRWAR	Asst Rev Inspector	61,225.00
14	DEVENDRA SINGH THAKUR	Asst Rev Inspector	42,804.00
15	NEETESH RAMGOPAL SHRIVASTAVA	UPSWACHHATA PARYAVEK	39,306.00
16	LATEEF KHAN	Driver (HMT)	58,880.00
17	RAMGOPAL AHIRWAR	Pump Attendant	61,225.00
18	SUMAN SAINI	Bhritya	47,251.00
19	RAJESH SHUKLA	Bhritya	43,513.00
20	RAMESHCHAND AHIRWAR	Bhritya	47,920.00
21	PARVAT SINGH YADAV	Bhritya	49,595.00
22	NARENDRA NAHARIYA	Bhritya	46,920.00
23	RAJARAM LODHI	Bhritya	39,883.00
24	MAHESH KUMAR AHIRWAR	Bhritya	44,874.00

25	HARINARAYAN RAIKWAR	Bhritya	33,077.00
26	OMPRAKASH PATEL	Bhritya	59,148.00
27	RAHUL/BABULAL AHIRWAR	Bhritya	23,900.00
28	ASHISH AHIRWAR	Choukidar	23,102.00
29	NARENDRA GOUND	Bhritya	23,102.00
30	HIMANSHU AGRAWAL	Bhritya	20,850.00
31	SACHIN VALMIK	Choukidar	20,794.00
32	SANJAY AHIRWAR	Bhritya	16,160.00
33	RAJESH KUMAR TIWARI	Bhritya	39,883.00
34	RAHUL / FOOLCHAND RAJAK	Bhritya	23,900.00
35	DINESH/RAJARAM BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	27,284.00
36	RAMESHWARI/RAMESH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	46,253.00
37	RAJNI/KAMTA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	47,872.00
38	ANITA/SHIVPRASAD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	44,398.00
39	ARVIND/GOURI BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	38,449.00
40	SHARDABAI BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	47,910.00
41	ASHARANI/BALLA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	44,100.00
42	SACHIN/PRAKASH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	42,893.00
43	MEGHRAJ/SAKKU BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	42,851.00
44	AASHA/RAVI BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	44,383.00
45	MUNNA/LOKMAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	55,280.00
46	ANITABAI/SHIVCHARAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	46,785.00
47	KAMALRANI/PURAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	52,594.00
48	MANOJ/CHATRA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	44,626.00
49	GHANSHYAM/CHHOTELAL BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	43,240.00
50	DHARMESH/SHANKAR BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	46,280.00
51	GANESH/MOHAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	35,072.00
52	OMPRAKASH/DASHRATH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	42,874.00
53	RACHNA/MUNNA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	43,356.00
54	SEEMA/VINOD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	42,893.00
55	BABLI/OMPRAKASH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	33,828.00
56	BABITA/DEEPAK BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	44,838.00
57	LALITA/MEGHRAJ BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	43,360.00
58	MALTI/MANO HAR BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	44,856.00
59	SATISH/RAMPRASAD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	44,850.00
60	DHEERAJ/KAMTA BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	37,876.00
61	AMAR/GURUPRASAD BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	42,282.00
62	LAXMAN/CHHATRE BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	43,364.00
63	SUJEET/HARICHARAN BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	38,606.00
64	MEERA/DILIP BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	34,604.00
65	PRADEP/RAMESH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	35,401.00
66	SANDHYA/RANJIT BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	30,184.00
67	NIHAL KUMAR AHIRWAR	Sanitory Sanrakshak	28,573.00
68	RAJENDRA/KALLU BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	20,344.00
69	GEETA / RAJESH BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	23,122.00
70	HEMANT / SANJAY BALMIKI	Sanitory Sanrakshak	23,885.00
71	Murari/Durgaprasad Saini	VINIYMIT	20,844.00
72	Madan/Mulchand Rajak	VINIYMIT	19,007.00
73	Firoj/Idreesh Khan	VINIYMIT	20,582.00
74	UdhamSingh/Shobharam Kurmi	VINIYMIT	22,532.00
75	Sunder/Khushal Rajak	VINIYMIT	19,532.00
76	Ramgopal/Ramsahay Mishra	VINIYMIT	19,532.00
77	Devendra/Ramesh BALMIKI	VINIYMIT	24,373.00
78	Ganesh/Juju Patel	VINIYMIT	18,745.00
79	Tilak/Ramsigh Ghoshi	VINIYMIT	18,745.00
80	Parasram/Mangalprasad Raikwar	VINIYMIT	18,745.00
81	Shokat/Ahmad Khan	VINIYMIT	18,745.00
82	Arvind/HP Rai	VINIYMIT	19,471.00
83	Hemant/NP Patel	VINIYMIT	18,370.00
84	Neeta/Rakesh Asati	VINIYMIT	20,513.00

85	Vishnusingh/Sanatsingh Chouhan	VINIYMIT	22,762.00
86	Aakil/Bahid Khan	VINIYMIT	18,370.00
87	Laxminarayan/Ramsahay Choubey	VINIYMIT	18,370.00
88	Prakash/Bhama Nayak	VINIYMIT	18,370.00
89	Radhelal/Nandram Ahirwar	VINIYMIT	18,107.00
90	Rajendra/Motilal Yadav	VINIYMIT	18,107.00
91	Anis/Emam Khan	VINIYMIT	18,107.00
92	Munna/Murli Yadav	VINIYMIT	18,107.00
93	Neeraj/Kailash Parashar	VINIYMIT	18,107.00
94	Shailendra/Chitter Thakur	VINIYMIT	18,107.00
95	Umashankar/Sunder Patel	VINIYMIT	18,107.00
96	Umesh/Dwarkaprasad Saini	VINIYMIT	18,107.00
97	Sandeep/Suresh BALMIKI	VINIYMIT	21,105.00
98	Jiyalal/Bhwarlal BALMIKI	VINIYMIT	19,532.00
99	Ramesh/Sannu BALMIKI	VINIYMIT	19,532.00
100	Pratipal/Chhotelal BALMIKI	VINIYMIT	19,529.00
101	Pramod/Suresh BALMIKI	VINIYMIT	19,510.00
102	Sahdeep/Brajlal BALMIKI	VINIYMIT	9,726.00
103	Shailendra/Jeevanlal BALMIKI	VINIYMIT	17,845.00
104	Pradeep/Dileep BALMIKI	VINIYMIT	17,786.00
105	Lakhan/Sudama BALMIKI	VINIYMIT	17,845.00
106	Deepak/Kanchhedi BALMIKI	VINIYMIT	17,845.00
107	Bobyraj/Raviprakash BALMIKI	VINIYMIT	17,843.00
108	Ravi/Rajaram BALMIKI	VINIYMIT	17,845.00
109	Sanjay/kanchhedi BALMIKI	VINIYMIT	10,592.00
110	Omprakash/Ramesh BALMIKI	VINIYMIT	17,815.00
111	Pawan/Raju BALMIKI	VINIYMIT	2,911.00
112	Eshak/Jafar Khan	VINIYMIT	24,402.00
113	Karan/Chhandilal Ghoshi	VINIYMIT	19,532.00
114	Umashankar/AmarSingh Ghoshi	VINIYMIT	19,526.00
115	Manohar/Bhagwandas Ghoshi	VINIYMIT	19,532.00
116	Virendra/Ramprasad Tiwari	VINIYMIT	19,532.00
117	Manohar/Gulab BALMIKI	VINIYMIT	19,926.00
118	Ghanshyam/Haridas BALMIKI	VINIYMIT	23,418.00
119	Rambabu/Sudama BALMIKI	VINIYMIT	17,845.00
120	Baijnath/Naran Patel	Public Works	11811.0
121	Imran/Iftiyar Khan	Public Works	13344.0
122	Balmukund/Ramnath Ahirwar	Public Works	11811.0
123	Laxman/Ramkishan AHIRWAR	Public Works	11811.0
124	Munna/Baldev Rajaik	Public Works	13344.0
125	Shyamlal/Daleep AHIRWAR	Public Works	11811.0
126	Brajesh/Hardev Mishara	Public Works	10934.0
127	Rajneesh/Yashwant Parihar	Public Works	11811.0
128	Alim/Salim Kureshi	Public Works	11811.0
129	Santosh/Khilan Thakur	Public Works	11811.0
130	Keshav/Narayan Rai	Public Works	13344.0
131	Ghanshyam/Balkishan AHIRWAR	Public Works	13344.0
132	Dinesh/Jeevan Rai	Public Works	10934.0
133	Arvind/Sarnam Yadav	Public Works	10934.0
134	Farukh/Yaseen Khan	Public Works	10934.0
135	Rakesh/Balram Chakarwati	Public Works	10934.0
136	Sukhpal/H.H. Chouhan	Public Works	10934.0
137	Heeralal/Devju AHIRWAR	Public Works	11811.0
138	Dinesh/Dhannalal Rohit	Public Works	13344.0
139	Rajendra Ahirwar/Ramkishan Ahirwar	Public Works	11811.0
140	Bholesankar/Ramkishan Patel	Public Works	10934.0
141	Ramgopal/Chhotelal Rajak	Public Works	10934.0
142	Pradeep/Jagdish Vishwkarma	Public Works	10934.0
143	Niranjan/Pancham Thakur	Public Works	10934.0
144	Gendalal/Puranlal Ahirwar	Public Works	10934.0

145	Pradeep/Ramsewak Rajak	Public Works	10934.0
146	Goverdhan/Harishankar Namdev	Public Works	10934.0
147	Sanjay/Ramswroop Parashar	Public Works	10934.0
148	Sachendra/Dheeraj Yadav	Public Works	10934.0
149	Dharmendra/Raju Ahirwar	Public Works	11811.0
150	Bajid/Liyakat Veg	Public Works	13344.0
151	Jitendra/Guddesh Chandel	Public Works	11811.0
152	Ram/Raju Namdev	Public Works	10934.0
153	Muharsingh/Jamnadas Kushwaha	Public Works	10934.0
154	Gajendra/Santosh Yadav	Public Works	13893.0
155	Yashwant/Emrat Ahirwar	Public Works	13893.0
156	Deepak/Balram Rai	Public Works	10934.0
157	Ankit/Madhav Rai	Public Works	13893.0
158	Neelesh/Shyamlal Rai	Public Works	10934.0
159	Govind/Kashiram Rai	Public Works	10934.0
160	Tejram/Bhawani Raikwar	Public Works	9836.0
161	Krishnkumar/VP Pateriya	Public Works	10934.0
162	Dharmendra/Mahendra Panth	Public Works	10934.0
163	Tulsi/Suresh Balmiki	Public Works	10934.0
164	Ramlal/Ganpat Ahirwar	Public Works	10934.0
165	Rameshwar/Fagua Ahirwar	Public Works	10934.0
166	Omprakash Bhardwaj	Public Works	10934.0
167	Jabbar/Nabab Khan	Public Works	9836.0
168	Sharad/Kailash Ghoshi	Public Works	14969.0
169	Vakeel/ Kuraishi	Public Works	10934.0
170	Hemant/Ashok Ahirwar	Public Works	10570.0
171	Mahesh/Gopilal Prajapati	Public Works	14969.0
172	Mahendra/Harinarayan Shrivastava	Public Works	13292.0
173	Brajendra/Umashanker Patel	Public Works	14410.0
174	Uttam/Ayodhyaprasad Raikwar	Public Works	10934.0
175	Avdesh/Sitaram Mishra	Public Works	10934.0
176	Gopal/Ramlal Ahirwar	Public Works	10934.0
177	Manoj/Komal Ahirwar	Public Works	13344.0
178	Amit/Raju Jasodiya	Public Works	10934.0
179	Kuldeep Ahirwar	Public Works	14969.0
180	Rupendra Raikwar	Public Works	10934.0
181	DEVENDRA / PURANLAL RAIKWAR	Public Works	10934.0
182	Govind / Parmanand kushwaha	Public Works	10764.0
183	Dileep/Ganeshram Ahirwar	Public Works	10764.0
184	Devendra / Umashankar Ghoshi	Public Works	10764.0
185	Rahul / Brajlal RAIKWAR	Public Works	10764.0
186	AAKASH / NANDLAL AHIRWAR	Public Works	10764.0
187	BRAJESH SINGH BHAGEL	Samvidha	9500.00
188	HALKE /GOVIND SINGH CHADAR	Samvidha	7000.00
189	CHANDRABHAN/BAHADUR SINGH THAKUR	Samvidha	6291.00
190	ANSHUL /KRISHNDUTT NAMDEV	Samvidha	6524.00
191	OMPRAKASH /BABULAL YADAV	Samvidha	7000.00
192	DEEPAK /MAHESH AHIRWAR	Samvidha	7000.00
193	ROHIT/HARNAM THAKUR	Samvidha	7000.00
194	AMAN / GYARSI RAIKWAR	Samvidha	6067.00
195	DEEPAK / MUNNALAL RAJAK	Samvidha	6067.00
196	MAMTA / SHIVAM YADAV	Samvidha	7,000.00
197	YASHMAND /GANESH SINGH THAKUR	Samvidha	9500.00
198	DEEPAK /PREETAK GHOSHI	Samvidha	6548.00

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – ग्यारह
प्रत्येक एजेंसी (विभाग) के लिए आवंटित बजट (आय एवं व्यय पत्रक)
क. आय पत्रक वर्ष 2018–19

company	fiscal_year	department	cost_center	account	amount
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3100000000 - Property tax Cell - 0332	1100101000 - Property Tax-Building-Residential Use - 0332	-16057608
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3100000000 - Property tax Cell - 0332	1100131000 - Samekit Kar-Consolidated - 0332	-2500000
0332	2026-27	1000000000 - Water supply & sewerage Department - 0332	1100000000 - Water supply cell Department - 0332	1100201000 - Un-metered Water Supply - Domestic - 0332	-14024520
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930400 - Other Taxes - 0332	1108002000 - Show Tax - 0332	-3000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3300000000 - Market & Temporary intervention cell Department - 0332	1101001000 - Professional Tax - 0332	-8457
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1100401000 - Conservancy Tax - 0332	-6391364
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930400 - Other Taxes - 0332	1108041000 - Education Cess - 0332	-5516515
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930400 - Other Taxes - 0332	1108021000 - Urban Development Cess - 0332	-3585154
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930400 - Other Taxes - 0332	1101109000 - Advt.Tax - On Others - 0332	-5000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1301003000 - Rent-Community Hall - 0332	-225315
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1301001000 - Rent-Market - 0332	-9185654
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1304003000 - Rent-Lease of Land for Other - 0332	-376545
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1308005000 - Lease Rent-Pond - 0332	-250000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1401126000 - License Fee- Others - 0332	-726065
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1304001000 - Rent-Lease of Land - 0332	-8000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3300000000 - Market & Temporary intervention cell Department - 0332	1304003000 - Rent-Lease of Land for Other - 0332	-825355
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1304002000 - Rent-Lease of Land for Temporary use - 0332	-810510
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1301050000 - Shop Premium - 0332	-55726439

			0332		
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1301011000 - Mutation Fee - 0332	-995910
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1401126000 - License Fee- Others - 0332	-310605
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1501101000 - Sale-Tender - 0332	-110500
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1501201000 - Sale-Obsolete Stores - 0332	-2000000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1503010000 - Sale-Animal Bone,Leather - 0332	-131000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1401106000 - License Fee- Casual Vendor - 0332	-280312
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1401103000 - License Fee- Hawker - 0332	-500000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3300000000 - Market & Temporary intervention cell Department - 0332	1401301000 - Fee-Plan Copy - 0332	-5000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930300 - Advertisement Tax Section - 0332	1401206000 - Permission Fee- Hoarding (Advt) - 0332	-40220
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3200000000 - Shop registration and rent management cell Department - 0332	1404004000 - Fee-Sports - 0332	-30255
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1402004000 - Penalty & Fine- Other - 0332	-50250
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	3300000000 - Market & Temporary intervention cell Department - 0332	1407008000 - Charges for NOC-Charges - 0332	-2500
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930500 - Licenses & Other User Charges Section - 0332	1808090000 - Misc. Income - 0332	-225000
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930400 - Other Taxes - 0332	1202001000 - Compensation- Octroi - 0332	- 115447106
0332	2026-27	3000000000 - Revenue cum recovery Department - 0332	1009930400 - Other Taxes - 0332	1201011000 - Stamp Duty on Transfer of Properties - 0332	-10000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	1601001000 - Grant Revenue- State Govt. - 0332	-1000000
0332	2026-27	9000000000 - UPA & Welfare Department - 0332	9100000000 - Poverty Alleviation cell - 0332	1601021000 - Grant Revenue- Other Organisations - 0332	6600000
0332	2026-27	9000000000 - UPA & Welfare Department - 0332	9100000000 - Poverty Alleviation cell - 0332	1401004000 - Registration Fee-Cart - 0332	-500000
0332	2026-27	9000000000 - UPA & Welfare Department - 0332	9200000000 - Social Welfare cell Department - 0332	1601021000 - Grant Revenue- Other Organisations - 0332	-1000000
0332	2026-27	9100013000 - Housing For All (PMAY) - 0332	9100011543 - Housing For All - (A.H.P.) - 0332	1603011000 - Scheme Contribution-Central Govt. - 0332	-35000000
0332	2026-27	9100012000 - 15th Finance - 0332	9100012001 - 15th Finance Tied Grant - 0332	3201014000 - Grant-14th Central Finance Comm - 0332	-50000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	3202001000 - Grant GoMP- State Finance Commission - 0332	-50000000

0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020003 - Road Development - 0332	3202011000 - Grant GoMP- Road Development - 0332	-7000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020002 - Moolbhut Grant - 0332	3202012000 - Grant GoMP- Mulbhoot - 0332	-15000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	3202021000 - MLA LAD Fund - 0332	-10000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100029619 - CM Infrastructure Development (Phase-4) - 0332	3202023000 - Grant GoMP- CM Urban Infra Development Scheme - 0332	-10000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100029590 - Special Grant for Narmada Belt ULBs - 0332	3202051000 - Grant-GoMP Others - 0332	-75500000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020003 - Road Development - 0332	3202034000 - Grant GoMP- Aadimjati Kalyan - 0332	-1000000
0332	2026-27	9100011000 - Amrut 2.0 - 0332	9100011205 - AMRUT 2.0 – A. and O.E. Reform Incentive - 0332	3201057000 - Grant- Gol- AMRUT - 0332	-84000000
0332	2026-27	9100014000 - Urban Swachh Bharat Mission - 0332	9100017706 - Swachh Bharat Mission (SBM) - 0332	3201056000 - Grant- Gol- Swach Bharat Abhiyan - 0332	-5000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100021189 - Kaayakalp - 0332	3202019000 - Grant GoMP- Special Fund for ULBs - 0332	- 125000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	3208012000 - Beneficiary Contribution-Toilet - 0332	-5000000
0332	2026-27	9000000000 - UPA & Welfare Department - 0332	9200000000 - Social Welfare cell Department - 0332	3205001000 - Grants-Welfare Bodies - 0332	-15000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	3202019000 - Grant GoMP- Special Fund for ULBs - 0332	- 360553000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	9100029590 - Special Grant for Narmada Belt ULBs - 0332	3202019000 - Grant GoMP- Special Fund for ULBs - 0332	- 150000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2101002000 - Salaries & Allowances-Officers Grad Pay - 0332	42959829
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2101022000 - Wages- Temporary Staff - 0332	40476940
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2102003000 - Remuneration & Fee-Mayor-in-Council - 0332	1680000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2102004000 - Arrears Salary - 0332	2800000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2103003000 - Contributory-NPS Employer Contribution - 0332	13427793
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2103002000 - Contributory-Family Pension - 0332	140360
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2102033000 - Other Allowance - 0332	252065
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2601075000 - GISS-Group insurance scheme for sweepers - 0332	12562
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2104011000 - Leave Encashment - 0332	3500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2104002000 - Retirement Gratuity - 0332	400000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0100000000 - Establishment Department - 0332	2104021000 - Provident Fund Contribution - 0332	3142975
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1000020100 - Municipal Commissioner's Office - 0332	2201201000 - Telephone Expense - 0332	150000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1000020100 - Municipal Commissioner's Office - 0332	2201221000 - Postage Expense - 0332	150000

0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1000020100 - Municipal Commissioner's Office - 0332	2202101000 - Printing Expenses - 0332	500000
0332	2026-27	4000000000 - Finance & Account Department - 0332	4300000000 - Audit cell Department - 0332	2205001000 - Audit Fee-Local Fund Examiner - 0332	5000000
0332	2026-27	4000000000 - Finance & Account Department - 0332	4200000000 - Account management cell Department - 0332	2205221000 - Consultancy Fee & Charge - 0332	2500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0200000000 - Legal cell Department - 0332	2205101000 - Legal Fee - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	2206001000 - Advertisement Expense - 0332	3000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	2205222000 - Other Fees - 0332	50000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	2206041000 - Workshop & Seminar - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0000000000 - General Administration Department (GAD) - 0332	2206031000 - Cultural Event Expense - 0332	2500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0000000000 - General Administration Department (GAD) - 0332	2208002000 - Guest Entertainment Expense - 0332	4000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0000000000 - General Administration Department (GAD) - 0332	2208051000 - Miscellaneous Expense - 0332	2500000
0332	2026-27	1000000000 - Water supply & sewerage Department - 0332	1100000000 - Water supply cell Department - 0332	2301001000 - Power & Fuel-Water Works - 0332	14000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0000000000 - General Administration Department (GAD) - 0332	2301002000 - Power & Fuel-Street Lighting - 0332	40000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0600000000 - Socio culture activities and infrastructure cell Department - 0332	2304002000 - Hire Charges-Vehicle - 0332	1100000
0332	2026-27	6000000000 - Health Hygiene & solid waste management Department - 0332	6200000000 - Public toilet, drains and road cleaning cell - 0332	2302020000 - Bulk Purchase-Sanitation/Conservancy Material - 0332	700000
0332	2026-27	6000000000 - Health Hygiene & solid waste management Department - 0332	6200000000 - Public toilet, drains and road cleaning cell - 0332	2303020000 - Sanitation/Conservancy Material Consumed - 0332	25000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0A00000000 - Store cell Department - 0332	2302060000 - Bulk Purchase-Stationery - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0A00000000 - Store cell Department - 0332	2302070000 - Bulk Purchase-Others - 0332	2000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0A00000000 - Store cell Department - 0332	2303070000 - Consumption of Stores - Others - 0332	10000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305001000 - R & M-Concrete Road - 0332	15000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305309000 - R & M-Tractor - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305018000 - R & M-Building Sewerage & Drainage - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305021000 - R & M-Waterways - 0332	15000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305203000 - R & M-Building Market - 0332	12000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305289000 - R & M-Other Structures - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305390000 - R & M-Vehicle Others - 0332	2000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1000020100 - Municipal Commissioner's Office - 0332	2308004000 - O & M-Cleaning by Private Agencies (Outsourced) - 0332	39000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	2308082000 - O & M-Others - 0332	2000000

0330	2026-27	9000000000 - UPA & Welfare Department - 0332	9100000000 - Poverty Alleviation cell - 0332	2601080003 - PEMS-Prasuti Anudan - 0332	10000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2305121000 - R & M- Public Toilets - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	2308001000 - O & M-Water Purification Charges - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	1006650100 - Maintenance of Zoo's Section - 0332	2405002000 - Interest-Loan from HUDCO - 0332	31625000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0500000000 - Election & census cell Department - 0332	2501003000 - Councillor Election Expense - 0332	50000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0600000000 - Socio culture activities and infrastructure cell Department - 0332	2206031000 - Cultural Event Expense - 0332	15000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020852 - Deendayal Rasoi Yojana - 0332	2601056006 - NULM-Shelter for Urban Homeless (SUH) - 0332	1000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0600000000 - Socio culture activities and infrastructure cell Department - 0332	3202034000 - Grant GoMP-Aadimjati Kalyan - 0332	1000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0900000000 - Record cell Department - 0332	2601056001 - Employment through skilled training & Placement (EST&P) - 0332	5000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	4121056004 - Capacity Building & Training (CB&T) - 0332	1050000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	2601056007 - Information, Education and Communication (IEC) - 0332	1000000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0000000000 - General Administration Department (GAD) - 0332	2601056008 - Administrative office expense and MIS(A&OE) - 0332	500000
0332	2026-27	0000000000 - GAD - 0332	0300000000 - Public relation Department - 0332	2601056006 - NULM-Shelter for Urban Homeless (SUH) - 0332	500000
0332	2026-27	9100014000 - Urban Swachh Bharat Mission - 0332	9100017706 - Swachh Bharat Mission (SBM) - 0332	2601058005 - SBM- Information and Communication & Education - 0332	2000000
0332	2026-27	9100013000 - Housing For All (PMAY) - 0332	9100011543 - Housing For All - (A.H.P.) - 0332	2601066000 - NIGUM- National Institute of Govt. and Urban Management - 0332	35000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	4105090000 - Vehicle-Others - 0332	2000000
0332	2026-27	4000000000 - Finance & Account Department - 0332	4200000000 - Account management cell Department - 0332	4103462000 - Mobile Toilets - 0332	1900000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4102080000 - Boundry Wall & Fencing - 0332	5000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	5200000000 - Mechanical cell Department - 0332	4103310000 - Public Light Fitting-High Mast - 0332	5000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	4121001014 - Building-Auditorium/Function Hall - 0332	150000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	4122001042 - Building-Public /Community Toilets - 0332	5000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	4122001058 - Building-Burial /Cremation - 0332	5000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4125001006 - Building-Shopping Mall - 0332	5000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	4122001057 - Building-Amusement Park & Rides - 0332	10000000

0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	4125001036 - Building-Statue - 0332	2500000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020001 - State Finance Commission - 0332	4122001014 - CWIP-Building-Auditorium/Function Hall - 0332	5000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4121041001 - Public-LightingPublic-Lighting-Electrical Pole Work - 0332	5000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4121011001 - Roads & Bridges-Concrete Road - 0332	10000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100029619 - CM Infrastructure Development (Phase-4) - 0332	4121001031 - Building-Fish Market - 0332	2500000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100021189 - Kaayakalp - 0332	4122021001 - Sewerage and Drainage-Drain-Underground - 0332	5000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4121001006 - Building-Shopping Mall - 0332	30000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	2305102000 - R & M-Lakes & Ponds - 0332	37000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4122001026 - Building-Gaushala - 0332	2000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4108001000 - Heritage Building - 0332	5000000
0332	2026-27	2000000000 - Public Work & Horticulture Department (PWD) - 0332	2100000000 - Construction cell Department - 0332	4108010000 - Works of Art - 0332	7875000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100021189 - Kaayakalp - 0332	4103001000 - Road-Concrete - 0332	62500000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100021189 - Kaayakalp - 0332	4103101000 - Drain-Underground - 0332	62500000
0332	2026-27	6000000000 - Health Hygiene & solid waste management Department - 0332	6200000000 - Public toilet, drains and road cleaning cell - 0332	4103102000 - Drain-Open - 0332	46500000
0332	2026-27	6000000000 - Health Hygiene & solid waste management Department - 0332	6200000000 - Public toilet, drains and road cleaning cell - 0332	4121021001 - Sewerage and Drainage-Drain-Underground - 0332	29000000
0332	2026-27	9100011000 - Amrut 2.0 - 0332	9100017838 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) 2.0 - 0332	4121059003 - AMRUT-Strom Water Drainage - 0332	68000000
0332	2026-27	9100011000 - Amrut 2.0 - 0332	9100017838 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) 2.0 - 0332	4121059001 - AMRUT-Water Supply - 0332	4000000
0332	2026-27	9100011000 - Amrut 2.0 - 0332	9100017838 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) 2.0 - 0332	4121059004 - AMRUT-Urban Transport - 0332	12000000
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100029619 - CM Infrastructure Development (Phase-4) - 0332	4125001002 - Building-Community Hall - 0332	91843367
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100029619 - CM Infrastructure Development (Phase-4) - 0332	4122011012 - Roads & Bridges-Footpath-Concrete - 0332	134143134
0332	2026-27	9100020000 - State Sponsored Schemes - 0332	9100020003 - Road Development - 0332	4124011001 - Roads & Bridges-Concrete Road - 0332	2000000
0332	2026-27	4000000000 - Finance & Account Department - 0332	4200000000 - Account management cell Department - 0332	3125001 - Sanchit Nidhi - 0332	11656633

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – वारह

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों के क्रियान्वयन की रीति ओर आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या)

अनु. क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2026–27
1	2	3	4	5
1	पीएम विश्वकर्मा योजना	शासकीय नियमानुसार	शहरी विकास अभिकरण	2023–242026 –27
2	पीएम स्वनिधि योजना			
3	शहरी आजीविका मिशन			
4	स्वरोजगार योजना			

अध्याय – तेरह

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

1– सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों का विवरण :-

क्र.	पेंशन योजना का नाम	कुल पात्र हितग्राही	राशि
1	2	3	4
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन	1208	724800
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा	449	269400
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	21	12600
4	कन्या अभिभावक पेंशन	35	21000
5	मंदबुद्धि / बहुविकलांग पेंशन	173	103800
6	सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन	294	176400
7	सामाजिक सुरक्षा परित्याता पेंशन	17	10200
8	सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन	200	120000
9	सामाजिक सुरक्षा शिक्षा प्रत्साहन राशि	49	29400
10	मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन	0	0

नोट:- समग्र की बेवसाईट <http://samagra.gov.in/> पर जाकर समग्र पेंशन पोर्टल पांचवी लिंक पर पेंशन हितग्राहियों की सूची देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

2– बी.पी.एल./ए.ए.वाय कार्ड धारक :-

क्र.	योजना का नाम	परिवार संख्या	रिमार्क
1	2	3	5
1	बी.पी.एल. कार्ड	3244	—

नोट:- समग्र की वेबसाइट <http://samagra.gov.in/> पर जाकर बी.पी.एल परिवार पंजी की चौथी लिंक बी.पी.एल/ए.ए.वाय रजिस्टर से बी.पी.एल हितग्राहियों की सूची देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

3- हितग्राही मूलक योजनायें :-

क्र.	योजना का नाम	पंजीकृत हितग्राही	रिमार्क
1	2	3	5
1	म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना	3431	—
2	संबल योजना	3261	
3	साईकिल रिकशा हाथ ठेला चालक	271	—
4	शहरी घरेलू कामकाजी महिला	336	—
5	केश शिल्पी कल्याण योजना	60	—
6	पीएम विश्वकर्मा योजना	2600	
7	पीएम स्वनिधि योजना	1955	

नोट:- समग्र की वेबसाइट <http://samagra.gov.in/> पर जाकर समग्र श्रमिक की दूसरी लिंक समस्त श्रमिकों की सांख्यिकी एवं सूची देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खुरई
जिला सागर

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सागर (म.प्र.) अध्याय – चौदह

नगर पालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक्स फार्म सूचना के बारे में विवरण

क्र.	वर्ग	हार्ड कॉपी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1	कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण	—	—

अध्याय – पंद्रह नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारंभ सुविधायें

अनु. क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलीफोन नंबर
1	2	3	4	5
1	आवाक/जावक शाखा	श्री ब्रजेश सिंह बघेल (संविदाकर्मी)	कार्यालयीन समय	07581-2040101

- 1- लोक सेवा प्रबंधन केन्द्र
- 2- सूचना केन्द्र
- 3- सूचना काउंटर

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सगर (म.प्र.)

अध्याय – सोलह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारंभ सुविधायें

क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नंबर	ई-मेल	कार्यालय का पता	मिलने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राजेश मेहतेले	मुख्य नगर पालिका अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी)	07581-240 101	cmokhurai@mpurban.gov.in	न.पा.प खुरई	कार्यालयीन समय
2	श्री गोर्वधन अहिरवार	सहा0ग्रेड- 03 (सहा. लोक सूचना अधिकारी)	07581-240 101	cmokhurai@mpurban.gov.in	न.पा.प खुरई	कार्यालयीन समय
4	श्री	अपीलीय अधिकारी	07582-261 217	ddsagar@mpurban.gov.in	संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर	कार्यालयीन समय

**अन्य सूचनाएं
धारा 4 (1) (बी) (सत्रह)**

- 1- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र शुल्क की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेख प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।
- 2- नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकाय योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिए नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है या लिखित में दे सकता।
- 3- नगर पालिका परिषद प्रेसीडेंट इन काउंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।
- 4- नगर पालिका के करों से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटाईज्ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्य ऐसे इलेक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें।
- 5- नगर पालिका ने नागरिकों के कार्यों हेतु सिटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सुफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो सकें।

अध्याय — अठहारा

निविदाएँ:— निकाय द्वारा निविदा का ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है जो <https://mptenders.gov.in/> देखी जा सकती है।

अध्याय — उन्नीस

सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी :— निरंक

अध्याय — बीस

स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश :—

मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा संचालित होती है।

- **तय लक्ष्य का पालन:** नई नीति के तहत सरकारी लक्ष्यों को पूरा न करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का कार्यकाल 3 वर्ष से पहले भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **ऑनलाइन प्रक्रिया:** पारदर्शी तबादले ई-ऑफिस के जरिए सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर किए जाते हैं।
- **विशेष छूट:** महिला कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति के करीब वाले कर्मचारियों को स्थानांतरण में राहत दी जाती है।
- **प्रतिबंध अवधि:** आमतौर पर स्थानांतरण एक तय समय-सीमा (जैसे जून) के भीतर किए जाते हैं और शेष सत्र में प्रतिबंधित रहते हैं

अध्याय — इक्कीस

आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण :—

RTI आवेदन जमा करने की प्रक्रिया (RTI Application Filing)

- **ऑनलाइन प्रक्रिया:** MP RTI Online Portal पर जाकर रजिस्टर करें और आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक सरकारी शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें।
- **ऑफलाइन प्रक्रिया:** सादे कागज या निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रश्न/मांगी गई जानकारी लिखकर 'लोक सूचना अधिकारी (PIO)' को संबोधित करें।
- **आवेदन शुल्क:** मध्य प्रदेश में सामान्य आवेदकों के लिए RTI शुल्क ₹10 है। BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारकों के लिए आवेदन निःशुल्क है (बशर्ते वे BPL कार्ड की प्रति संलग्न करें)।

RTI आवेदन का निवारण और समय-सीमा

- **समय-सीमा:** RTI अधिनियम के अनुसार, लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा आवेदन प्राप्ति के **30 दिनों के भीतर** जानकारी प्रदान करनी होती है।
- **प्रथम अपील:** यदि आपको 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता है या आप दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप **प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority)** के समक्ष 30 दिन पूरे होने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर पहली अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील का निपटारा भी आमतौर पर 30 से 45 दिनों में होता है

अध्याय – वाईस (22)

सीएजी और पीएसी पैरा:- निरंक

अध्याय— तेइस (23)

नागरिक चार्टर (Citizen Charter) एक प्रशासनिक उपकरण है, जो सरकारी विभागों और आम नागरिकों के बीच एक समझौते (MoU) की तरह काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, समय-सीमा तय करना और नागरिकों को पारदर्शी एवं जवाबदेह सेवाएं प्रदान करना है। निकाय से सूचना पटल पर लेख है।

अध्याय— चौबीस (24)

शहरी विकास में विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान का मुख्य अंतर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा धन आवंटन की बाध्यता और शर्तों में होता है:

- **विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grants):** यह केंद्र द्वारा राज्यों या स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला स्वैच्छिक वित्तीय सहयोग है (अनुच्छेद 282)। यह किसी निश्चित फॉर्मूले पर आधारित नहीं होता। सरकार अपने विवेक के अनुसार इसे जारी करती है। उदाहरण: स्मार्ट सिटीज मिशन या स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि।
- **गैर-विवेकाधीन अनुदान (Non-discretionary/Statutory Grants):** यह वैधानिक और अनिवार्य अनुदान होता है (अनुच्छेद 275)। एक निश्चित फॉर्मूले और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों/शहरी निकायों को यह राशि प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होता है।

अध्याय— पच्चीस (25)

सीएम/ मंत्रियों/अधिकारियों के विदेशी दौरे:- निरंक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खुरई